



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236961
CG-DL-E-01072022-236961

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2835]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944

No. 2835]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2022

का. आ. 2978(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (यहां इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार दिनांक 31.01.2020 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 28.01.2020 के का.आ. 480(अ) द्वारा झारखंड राज्य में मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पूर्व में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी श्री प्रेम कुमार तिवारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, झारखंड सरकार को एतद्वारा अनधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/28/2017-जीपी-II(ई-43373)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2022

S. O. 2978(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby de-notifies earlier notified Competent Authority for M/s. GAIL (India) Limited for all its Natural Gas Pipeline Projects in the State of Jharkhand, Shri Prem Kumar Tiwary, Assistant Settlement Officer, Government of Jharkhand, vide S.O. 480(E) dated 28.01.2020 published in the Extraordinary Gazette of India dated 31.01.2020.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/28/2017-GP-II(E-43373)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.